बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

निदेशक, भू–अर्जन, बिहार की अध्यक्षता में भारत–नेपाल सीमा पथ परियोजना से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक दिनांक–08.03.2017 की कार्यवाही।

1. उपस्थिति:–पंजी के अनुसार।

2. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से संबंधित पू0चंपारण(बेतिया)/प0चंपारण(मोतिहारी)/सीतामढी/मधुबनी/सुपौल/अररिया एवं किशनगंज जिला के अंतर्गत संचालित भारत–नेपाल सीमा पथ परियोजना हेतु भू–अर्जन के कार्यों एवं मुआवजा भुगतान के प्रगति की समीक्षा की गई।

3. समीक्षोपरांत विषयगत परियोजना के अंतर्गत विभिन्न मौजों का दर एवं प्राक्कलन स्वीकृति तथा मुआवजा भुगतान की कार्रवाई संतोषप्रद नहीं पायी गई।

4. सभी संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि भारत–नेपाल सीमा पथ परियोजना से संबंधित वैसे प्रस्तावों जिनमें RFCTLARR Act-2013 की धारा 11(1) एवं 19(1) के तहत अधिसूचना एवं अधिघोषणा का प्रकाशन हो चुका है, उन प्रस्तावों में अधिनियम की धारा–21 के तहत अविलम्ब हितबद्ध भू–धारियों/रैयतों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की कार्रवाई पूर्ण की जाय।

5. अधिनियम की धारा–21 की कार्रवाई के उपरांत अर्जनाधीन भूमि के दर तथा प्राक्कलन स्वीकृति की कार्रवाई सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्राप्त कर पंचाट घोषित कर मुआवजा भुगतान तीव्र गति से किया जाय।

6. यह भी निदेश दिया गया कि यदि दर तथा प्राक्कलन स्वीकृति की कार्रवाई पर सरकार का पूर्वानुमोदन अपेक्षित हो तो तदनुसार प्रस्ताव गठित कर प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को अविलम्ब विशेष दूत से उपलब्ध कराया जाय।

7. यह भी निदेशित किया गया कि भू–धारियों को मुआवजा भुगतान करने के उपरांत भूमि/भू–खण्ड का दखल–कब्जा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को यथाशीघ्र दी जाय।

सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:–15/डी.एल.ए. (भारत–नेपाल सीमा पथ) प0चम्पारण(बेतिया)–03/2016, पटना, दिनांक–................2017

प्रतिलिपि:–

1. संबंधित सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियां/कोसी/तिरहुत/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

PTO

ज्ञापांकः–15 / डी.एल.ए. (भारत–नेपाल सीमा पथ) प0चम्पारण(बेतिया)–03 / 2016, पटना, दिनांक–.................2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–15 / डी.एल.ए. (भारत–नेपाल सीमा पथ) प0चम्पारण(बेतिया)–03 / 2016 – 394 / रा0, पटना, दिनांक–23-03-2017

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय बेव साइट पर यथास्थान **शीघ्र प्रकाशनार्थ प्रेषित।**

23/3/17
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।